

13/11/2024 उपपक्ष प्रथम अधिवक्ता उप०। हल्द्वार
पत्रावली का दृष्टान्तपूर्वक अवलोकन
किया गया। श्री पत्रावली पिछली कई
पेशीयों से व्यापक दृष्टान्त पेश होने

सिविल न्यायाधीश
सैफरु (धौलपुर) राज०

13/11/2025

हेतुवशित चली आ रही है कि
व्यापिक हटाने पेश नहीं किया
है। पत्रावली नॉन ग्रेजुएट को
के नोट में, अधिका उक्त पक्ष

उक्त व्यापिकों में अति अवसर
दिनांक का निवेदन कि कि

दिनांक को वे आवश्यक रूप
से व्यापिक हटाने पेश कर देती

व्यक्ति व्यापिकों में अति
अवसर दिनांक, अति पत्रावली

नॉन ग्रेजुएट को लिख
है कि व्यापिकों तथा व्यक्तियों

व्यक्तिगतियों को देखते हुए अति
अति अवसर उक्त पक्ष अधिका

को दिनांक का आगामी दिनांक
दिनांक को आवश्यक रूप से

व्यापिक हटाने पेश करे अत्याप्त
है। उक्त पत्रावली का गुणावगुणित
विनिश्चय कर दिनांक पत्रावली
वाले पेश होते व्यापिक हटाने उक्त
पक्ष का अधिका दिनांक पत्रावली
पेश है।

सैफ (बॉलपुर) राज